न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 877 / 2024

अनवान : –

1. सिगा पुत्र बुधा जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री सुनील घिंटाला अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः –19/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 52 / 47 की कुल 23.6720 हैक्ट भूमि में से 13823 / 236720 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम सींगाराम पुत्र बुधराम दर्ज है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम सींगा पुत्र बुधा है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम सिंगा पुत्र बुधा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही नाम सिंगा पुत्र बुधा है जबकि राजस्व रिकार्ड में सिंगाराम पुत्र बुधराम गलत दर्ज हो गया उक्त वादी भूमि में नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादी का नाम सिंगा पुत्र बुधा है तथा सरपंच ग्राम पंचायत टिडियासर द्वारा भी नाम के संबंध में तस्दीक पेश की गई है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का नाम सिंगा पुत्र बुधा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:56:08 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता स0 52/47 की कुल 23.6720 हैक्ट भूमि में से 13823/236720 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी अपना नाम सिंगाराम पुत्र बुधराम के स्थान पर सिंगा पुत्र बुधा दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादी का नाम सिंगा पुत्र बुधा अंकित है तथा सरपंच ग्राम पंचायत टिडियासर द्वारा भी नाम के संबंध में तस्दीक पेश की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 52/47 की कुल 23.6720 हैक्ट भूमि में से 13823/236720 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम सींगाराम पुत्र बुधराम के स्थान पर सिगा पुत्र बुधा के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सींगाराम पुत्र बुधराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सींगाराम पुत्र बुधराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम सींगाराम पुत्र बुधराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:56:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 877/2024
अनवान : –

1. सिगा पुत्र बुधा जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 877 सन 2024 निर्णय दिनांक –19/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 52/47 की कुल 23.6720 हैक्ट भूमि में से 13823/236720 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम सींगाराम पुत्र बुधराम के स्थान पर सिगा पुत्र बुधा के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सींगाराम पुत्र बुधराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सींगाराम पुत्र बुधराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम सींगाराम पुत्र बुधराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:56:08 IST
Reason: SelfAttested